

प्रेषक,

मंचाल पुमार तिवारी  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक, मंचायतीराज  
उत्तर प्रदेश।

मंचायतीराज अनुभाग—३

लाखनऊ दिनांक १८ फरवरी, २०१६

विषय: 14वें वित्त आयोग की अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु भार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

संहोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2015-16 ने प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों अन्तर्गत वित्त आयोग, प्रभाग, विद्वान् मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-13(32)PTC/FCD/2015-16 दिनांक ०८ अक्टूबर, 2015 द्वारा 14वें वित्त आयोग (वर्ष 2015-20) की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 की बोसिक ग्रान्ट की धनराशि आवंटित करते हुए उसके उपभोग के लिए भार्गनिदेश निर्गत किये गये हैं। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों में केवल ग्राम पंचायत धौ ही धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत दो भागों में ७० प्रतिशत अनुदान की धनराशि मूलभूत अनुदान (बोसिक ग्रान्ट) के रूप में तथा रोप १० प्रतिशत धनराशि निष्पादन अनुदान (परफार्मेंस ग्रान्ट) के रूप में अनुनन्द की जायी है। उक्त अनुदान की धनराशि उन्हीं ग्राम पंचायतों को संभवित की जायेगी जो नियमानुसार निर्वाचन के उपरान्त विधिवत रूप से संघटित की गयी है। जनपद, स्तर पर ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध दुल संभवित धनराशि का बढ़वास चतुर्थ लाज्य वित्त आयोग में किये गये प्राविधानों के आधार पर जनपद की ग्राम पंचायतों के मध्य ४० : २० के सिद्धान्त को अपनाते हुए अर्थात् ४० प्रतिशत कुल जनसंख्या लक्षा २० प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जायेगा। विद्वान् आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुक्रम में तिनालिखित प्रमुख शर्तों/प्रतिष्ठानों के अधीन आवंटित धनराशि का व्यय, उपभोग सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि अपने क्षेत्रान्तर्गत मूलभूत सुविधाओं यथा घेयजल सुविधा, स्वच्छता, सेप्टिक प्रबन्धन, ठोस एवं तरल अपरिष्ट प्रबन्ध (SL WMD), सीवेज, बांड के पानी की निकासी, सामुदायिक सम्पत्तियों का रख-रखाव, सड़कों का रख-रखाव,

प्रूटप्राथमिक स्टोर लाइट कंपनी नामका भूमि एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं  
जिसका व्यापार खाजगढ़ झारखार द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया गया है के  
निर्माण / रखरखाव पर व्यय किया जायेगा।

(१) पंचायतीराज महालय आरंड स्टेटकार द्वारा 14वें वित्त वायोग को संसदियों के  
अन्तर्गत यह भी अझेका की गयी है कि आइ पंचायतों को आवंटित की जाने  
वाली धनराशि को ग्राम पंचायतें उन भवाँ पर व्यय करेगी जो नागरिकों के लिए  
आवश्यक भूलभूत सेवाओं को उद्दृढ़ करने के लिए चाहिए हो। साथ ही ऐसे  
कार्यों/योजनाओं को प्राथमिकता दी जावेगी जो ३५वें संविधान संशोधन के  
पश्चात जाविधान की व्याख्या अनुसूची में उल्लिखित कार्यों/अधिकारों जिनका  
प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायतों को दिया गया है।

ग्राम पंचायतों 14 वित्त वायोग के नार्य निर्देशों के अनुरूप जारी करना,  
बचावें और खण्ड स्तर पर ग्राम पंचायतों की कार्य योजना संबंधित  
विकास अधिकारी (प०) द्वारा पर सरकारी एवं अपने सज्जन से जिला पंचायत राज  
कान्दिकारी के नाम से उल्लिखित करने के लिए ग्राम पंचायत विधा जायेगा। शुरू होने  
सापेक्ष सापेक्ष (www.e-reportingonline.gov.in) पर इत्येक कार्य की पूरी  
आईडीएस जिले को सायेगी एवं वार्षिक के मासिक प्रगति भी एफआन संग्रह  
सापेक्ष के माध्यम से रिपोर्ट को जारी की। मियापांडे सापेक्षवेतर  
(www.accountabilityindia.gov.in) पर वार्षिक आईडीएस (IS09001 इत्येक के सापेक्ष  
खर्च का बोर्ड भी दिया जायेगा। इन पंचायतों द्वारा कार्यविधान के निर्णय  
दिया जायेगा। तथा जारी जारी सापेक्ष (www.e-governance.gov.in) पर  
कार्यविधान को अपलोड किया जायेगा। प्लान-प्लान एवं सरकारी वर्तमान में भारत  
सरकार में तैयार किया जा रहा है, जो प्रक्रियाएं हैं। भौतिक सरकार से निर्देश  
ग्राम पंचायतों के उपराज्ञा निदेशक पंचायतीराज द्वारा व्यक्त से इस सम्बन्ध में  
निर्देश निर्णय दिया जायेगा।

### १— तकनीकी एवं प्रशासनिक मद्दत

14वें वित्त वायोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को संकल्पित की जाने वाली  
डिजिटी अनुदान की धनराशि के अन्तर्गत भूलभूत आजटन की १० सालिशत से अनधिक  
धनराशि लावनीकी एवं प्रशासनिक सहायता के रूप में व्यवस्था की जा सकती है।

### (१) अनुमत्य गतिविधियां

यह धनराशि जिलेविधित गतिविधियों के लिए उपलब्ध पंचायतों को तकनीकी  
एवं प्रशासनिक सहायता देता लिखित रूपरूप पर (व्यापक पंचायत वित्तसंचय) को

पंचायत एवं राज्य स्तर पर) क्षय की जा सकेगी। प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियों इस मद में अनुमत्य हैं—

- (i) सफ्टवेत घनराशि से आम पंचायतों के कलेस्टर स्तर (न्याय पंचायत स्तर) पर प्रति न्याय पंचायत एक पंचायत सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर तथा एक चौकीदार की सेवाएँ सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से मानदेय पर ली जायेगी।
- (ii) हजारी प्रकार छापड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी(प०) के नियन्त्रण में एक ऐडोचन्ट्रेन्ट, एक कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा द्वारा अवश अभियंता (2 सिंपिल) की व्यवस्था सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से मानदेय पर ली जायेगी।
- (iii) जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा सहायक अभियंता, जिला मै पंचायत द्वारा सहायता से तकनीकी पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- (iv) न्याय पंचायत स्तर पर एक मुख्य डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम सहवार्ता उपकरणों सहित स्थापित किये जायेंगे, जाथ ही साथ न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम का अनुकूल (ए.एम.सी.) भी हजार मद से किया जायेगा।
- (v) दीज़ चंचायलों को भी एक-एक डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम सहवार्ता उपकरणों समेत ब्राम पंचायतों की तकनीकी सहायता हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vi) एक नुस्खा घनराशि इन्टरनेट की सुविधा हेतु तथा उस पर ज्ञाने वाले मानिक व्यय (Recruitment cost) का भुगतान इसी मद से किया जा सकेगा।
- (vii) आम पंचायत विकास योजना द्वारा लैयार करने में विशेष प्रक्रियाओं द्वारा पी.आर.ए. (PRA), बाई.ई.ओ. (BIC) लैव, योजना का नामित्रीयकरण, अन्य अनिवार्य त्रैयार करने, प्रसान्न लेने तथा बांधित सामग्री पर आने पाले व्यय की बहन इस मुद से किया जा सकेगा।
- (viii) उपरानुसार नानदेव पर लैज़ार किये जाने वाले कामिकों द्वारा यात्रा भत्ता को भुगतान यात्राकीय दरों पर प्रकृत विलों के रूपाक्ष छाता सानिक मद से किया जा सकेगा।
- (ix) न्याय पंचायत उद्देश्य पर एक मुख्य कर्ताचर का क्रय लैया उपरकी करमती भी की जा सकेगी।
- (x) एक मुख्य घनराशि लेखों (Accounts) को अद्वाहने किये जाने हेतु।

- (xx) ग्राम पंचायतों के आडिट हेतु चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट किये जाने पर आडिट फीस का मुग्हताम अनुमत्य दरों पर किया जा सकेगा। यदि चार्टड एकाउन्टेन्ट रहेहूआरी आडीटर नहीं है तो।
- (xxi) कार्यों के स्थलीय रूप्यापन हेतु लहायक विकास विधिकारी (पि०) को रु० 4000/- प्रतिवाह तक निर्धारित योजना भेजा अनुमत्य होगा।
- (xxii) आकड़ों की प्रविष्टियों हेतु आने वाले व्यय का मुग्हताम को इस मद से किया जा सकेगा।
- (xxiii) ठोस एवं द्रव्य अवशिष्ट प्रबन्धन (SLMDM) तथा पैदल इलादि योजनाओं से सम्बन्धित तकनीकी योजना को तैयार करने के आने वाले व्यय का बहन भी इस मद से किया जा सकेगा।
- (xxiv) कार्यक्रमों का कनल संपर्कन हेतु घनराशि का व्यय इस मद से किया जा सकेगा यदि किसी अन्य केन्द्रीय एवं राज्य संकाय योजनाओं में प्राविद्धान न हो।
- (xxv) न्याय पंचायत कार्यालय के विजली/पैदल पर आने वाले फिल्म का मुग्हताम की इस मद से किया जा सकता है, यदि किसी अन्य योजना के इसका प्राविद्धान नहीं है।
- (xxvi) सामाजिक अकेश्य पर आने वाले व्यय का मुग्हताम योजना की प्रशासनिक मद से किया जायेगा।
- (xxvii) ग्राम पंचायतों में संघ-संघ प्रतिविल (CBO) कार्यों की गुणवत्ता की परख हेतु नानदेय प्रोफेशनल्स (Professionals) को सेवायें नानदेय पर ली जा सकती है।
- (xviii) जनविधिक निविधियाँ।
- चौंदहरे वित्त आयोग के अन्तर्गत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद ने जनविधिक घनराशि का व्यय निष्पालियित मदों में नहीं किया जायेगा।
- (i) अन्य योजनाओं ते अनुमत्य मदों पर जिनके लिए घनराशि की व्यवस्था है, उस पर कोई व्यय इस मद से नहीं किया जा सकता।
- (ii) सन्मान समारोह (Felicitation)/सास्कृतिक कार्यक्रमों/संजापट/छद्मवट्ट/भास्त्रदेय (पुरस्कर सम्बन्धी) निविधित प्रतिनिधियों को अन्य सांस्कृतिक एवं साहित्य पर लियुक्त कर्मचारियों का कोई Utility Awards पर व्यय नहीं किया जायेगा। सन्तोरजन, उमी का क्रय तथा चाहतों का क्रय इस मद ते नहीं किया जा सकेगा।

## (ग) उल्लिखित गतिविधियों का क्रियान्वयन—

- (i) विकास खण्ड में न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों को एक कलर्सर (न्याय पंचायत) का रूपजन किया जायेगा जो कि उस न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाली सभी स्वतंत्र ग्राम पंचायतों को बांधित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- (ii) न्याय पंचायत स्तर का कार्यालय सर्वाधिक आवादी वाली ग्राम पंचायत के न्याय पंचायत भवन में स्थापित किया जायेगा। उस ग्राम पंचायत के पंचायत भवन न होने वाले दशा में न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाली अन्य सर्वाधिक आवादी वाली ग्राम पंचायत में कार्यालय स्थापित किया जा येगा।
- (iii) सहायक विकास अधिकारी(प०) के पद नाम से क्षेत्र पंचायत स्तर पर 14वें वित्त आयोग के तकनीकी एवं प्रशासनिक मंद नाम से एक बैंक खाता किसी राज्यीय वृत्त बैंक से खाली जायेगा। ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं प्रशासनिक मंद से प्राप्त होने वाली संकाली एवं प्रशासनिक मंद की घनराशि से न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्र पंचायत स्तर पर वासी साज्य स्तर पर स्वा प्रदाता संस्थान के माध्यम से मानदेश पर इच्छा जाने वाले कर्मचारी तथा द्वालिंटो मानिटर के यात्रा भूत्ता एवं अन्य प्राविधिक मंदों पर व्यय किया जा सकेगा। विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी गतिविधियों पर आने वाले खर्च का ज्ञा 14वें वित्त आयोग से घनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इन पुँजीजलों द्वारा अनुदान प्राप्त भवनों के उपशान्त किया जायेगा। सहायक विकास अधिकारी(प०) द्वारा न्याय पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर आने वाले व्यय को बहन इसी मूल से किया जायेगा।
- (iv) कौड़वे वित्त आयोग की जानकारी पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थान बुनियादी अनुदान की घनराशि का ५७ प्रतिशत जमक तकनीकी एवं प्रशासनिक मंद पर छाड़ किया जा सकता है। मूल १० प्रतिशत तकनीकी इवं प्रशासनिक मंद की घनराशि का क्षेत्र पंचायत में सहायक विकास अधिकारी(प०) स्तर पर छोले रखे खाते में बत्तेक नाम संचालक द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मंद के १० प्रतिशत घनराशि का ६४.५ प्रतिशत घनराशि लाभाधित क्षेत्र पंचायत के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के खाते में उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे विभिन्न (न्याय पंचायत, विकास खण्ड एवं राज्य) स्तरीय भवित्व निर्धारित मंदों में आने वाले खर्च पर व्यय की जा सकेगी। इस प्रकार उन्नीस अधिकारी (पंचायत) के लाभाधियों पर व्यय की जा सकेगी। राम प्रजासत्तों द्वारा ३८८००० लाख से विभिन्न अनुमति अद्यतन द्वारा दिए गए वित्त आयोग का

प्राणी पक्षी दैनंदिन वृथा के लिए आवश्यक होता जायेगा, जिसमें आम पंचायतों के लकड़ी की एवं प्रशासनिक मद से प्राप्त होने वाली 64.5 प्रतिशत धनराशि में से 1.0 प्रतिशत निर्देशक, पंचायतीराज, 70 प्र० को सहायता विकास अधिकारी(प०) के साथ्यमें से सपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों के खूल्याकरन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण मदों वें किया जा सकेगा। अर्थात् इस प्रकार आम पंचायतों द्वारा सेवा पंचायत स्तर पर सहायता विकास अधिकारी(प०) के खाली में लकड़ी की एवं प्रशासनिक मद की 10 प्रतिशत धनराशि का कुल 64.5 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

- (v) वर्तमान वित्तीय वर्ष 14वें बित्त आयोग की आवधि को प्रथम वर्ष है अतः मुख्य रूप से अन्तर्वर्ती व्यय (कम्प्यूटर, हाफरनेट, फर्नीचर इत्यादि के क्षेत्र) एवं आवर्ती व्यय की एक मुख्य व्यवस्था हेतु धनराशि को केन्द्रीयकृत करने का औद्योग्य है। किन्तु राजस्वव्यवस्था का मुख्य रूप से आवर्ती व्यय की आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाना चाहिए होगा। इतने हकंकीकी रुद्धि व्यवस्थानिक भद्र की 10 प्रतिशत धनराशि के व्यय के लिए अलग से प्रतिवर्ष निर्देशक, पंचायतीराज के प्रस्ताव पर शासन द्वारा जारी किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त लकड़ी की एवं प्रशासनिक मद की कोई धनराशि वाद लागू/राज्य स्तर पर अवश्य बचती है, तो आनुपातिक आधार पर ग्राम पंचायतों को वापस की जाएगी, क्योंकि 14वें बित्त आयोग द्वारा उक्त धनराशि आम पंचायतों के लिए ही संरक्षित की गयी है।
- (vi) उपरोक्त निर्दिष्टों के क्रियान्वयन के लिए संसाक्ष प्राधिकारी निर्देशक पंचायतीराज होगा।

## 2-निष्पादन अनुदान (परफार्म्स ग्रान्ट) प्राप्त करने की अवलोकन-

14वें बित्त आयोग की संरक्षितों को अन्तर्वर्ती 10 प्रतिशत धनराशि डैसिक ग्रान्ट के रूप में लधा 10 प्रतिशत की धनराशि परफार्मेंस ग्रान्ट के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। 10 प्रतिशत वर्षामेंस ग्रान्ट की धनराशि प्राप्त करने के लिए आम पंचायतों को निन्नलिखित अद्वायामों को पूर्ण बरना आवश्यक है:-

- (i) आम पंचायत को अपने खाते को आडिट करकर विलीय वर्ष वें भीतर आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) आम पंचायतों को गतवर्ष की तुलना में अपने राजस्व भौतिकी ने चूंकि करना अनिवार्य है और यह चूंकि आडिट रिपोर्ट में परिलक्षित होनी चाहिए।

3—पंचायतों को संकेन्द्रित धनराशि के दुरुप्योग होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रेसान के विलक्षण कार्यवाही संयुक्त ग्रान्ड पंचायत राज अधिनियम, 1947 में प्राविधिकीय व्यवस्था के अनुसार तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लिये जो कि शासकीय कर्त्ता है, के विलक्षण नियन्त्रण कार्यवाही की जाएगी।

उक्त के क्रम में शासन की ओर से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संकेन्द्रित की जाने वाली वैसिक ग्रान्ड की धनराशि का व्यवहार मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अधासकीय पत्र संख्या U.O. ५/८८/दिनांक १४-२-१६ में प्राप्त उनकी सहभाग से निर्णय किये जायें।

भवदीय

(द्वचल कुनार लिखारी)  
अनुख्य संचित।

संख्या ३३५ (१) / ३३-३-२०१६ तारीख

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेक्षित

- 1— संचित, पंचायतीराज भेन्जालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2— अनुरुद्ध रसीफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3— संचित अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4— अनुरुद्ध संचित, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण अनियन्त्रण विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5— निदेशक, एवं पर्वतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6— आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7— सुरेण्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश जाल निगम, लखनऊ।
- 8— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10— समस्त जिल्हा पंचायत अधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 11— समस्त सहायक विकास अधिकारी (प०) उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(एस.जॉ.सी.लॉ.)  
उपर संचित।